DAMAN & DIU
1. Daman 2. Diu

DADRA & NAGAR HAVELI
1. Silvassa

DELHI
1. Delhi

PONDICHERRY
1. Pondicherry 2. Mahe
3. Yanam 4. Oulgaret

Statement-II

Statement showing Yearwise Central Share Released (1995-96 to 1997-98) for UBSP Programme

(Rupees in Lakhs)

SI N	Name of State/UT	1995-96	1996-97	**1997-98
1.	Andhra Pradesh'	260.10	208.85	88.00
2.	Arunachal Pradesh	5.50	-	-
3.	Assam	5.50	11.00	-
4.	Bihar	101.80	135.70	-
5.	Goa	16.50	5.50	
6.	Gujarat	48.15	96.35	50.85
7.	Haryana	29.30	26.85	8.65
8.	Himachal Pradesh	11.00	11.00	5.50
9.	Jammu & Kashmir	-	-	-
10	Karnataka	94.95	63.30	-
11	Kerala	70.85	65.30	"48.40
12	Madhya Pradesh	174.20	116.15	97.25
13	Maharashtra	133.00	44.35	___
14	Manipur	16.50	11.00	5.50
15	Meghalaya	17.60	14.50	11.00
16	Mizoram	17.60	16.50	11.00
17	Nagaland	-	-	-
18	Orissa	30.60	20.40	23.35
19	Punjab	16.45	16.45	8.6a
20	Rajasthan	107.10	71.40	39.95
21	Sikkim	5.50	5.50	5.50
22	Tamil Nadu	108.45	216.90	189.85
23	Tripura	8.25	16.50	11.00
24	Uttar Pradesh	282.45	368.95	127.90
25	West Bengal	136.45	178.95	52.75
26	A & N Islands	13.75	-	-
27	Chandigarh	--	18.30	18.30
28	D&NHaveli	27.45	09.15	9.15
29	Daman & Diu	-	9.15	18.30
30	Delhi	11.00	11.00	-
31	Pondicherry	-	~	5.50
	TOTAL	1750.00	1780.00	841.85

**Upto 30.11.97 whereafter the scheme subsumed into SJSRY.

दिल्ली के लिए नया मास्टर प्लान

151. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार का विचार दिल्ली के लिए नये मास्टर प्लान की घोषणा करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो नये मास्टर प्लान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्लान में झुग्गी-झोपड़ियों तथा अनधिकृत कॉलोनियों के लिए किस प्रकार के भविष्य की परिकल्पना की गयी हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली का मौजूदा मास्टर प्लान 2001 तक जारी रहेगा 2001 के बाद मास्टर प्लान पर विचार चल रहा हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए, नई मास्टर प्लान की रूपरेखा का ब्यौरा देने का अभी समय नहीं हैं।

Dwarka Group Housing Scheme

152. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that residential units in Dwarka Group Housing Scheme of Delhi have not been allotted because, of non availability of civic amenities like water, power etc.

(b) whether it is also a fact that this prestigious scheme of Delhi has suffered because of lack of coordination amongst various civic authorities;

(c) whether he has himself recently visited the area; and

(d) if so, the details in this regard and the remedial action taken in this matter?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) No, Sir. All completed houses have been allotted.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The Minister directed the Civic Authorities to provide power, water and civic amenities by 31st October, 1998 to all the houses that have been completed.

Fixation of Pay of Drivers in DDA

153. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be please to refer to answer to Unstarred question 2265 given in the Rajya Sabha on the 6th July, 1998 and state:

(a) the details of fundamental rules which were applied for fixing the basic pay of drivers appointed in July, 1996, alongwith revised and pre-revised scales in which they have been fixed;

(b) whether Government/DDA have received any representations from the drivers;

(c) if so, the details of representations and the action taken so far to provide justice to affected drivers; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) DDA has reported that the basic pay of drivers appointed/promoted in July, 1996 has been fixed in accordance with FR 22(1) (a) (i). The pre-revised scale is Rs. 1150-25-1500 and the revised pay scale is Rs. 3050-75/3950/80/4590.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The representation was for fixation of the pay at Rs. 3575/- instead of Rs. 3050/-. The case was again examined and the pay fixed was found to be in order. A reply was accordingly sent to the General Secretary of the Association - DDA Vahan Karamchari Union (Regd.) on 23.3.1998. Since, the pay fixation was found to be in order and as per rules, no further action was taken.

सरकारी फाइलों के संबंध में जानकारी

154. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री कपिल सिब्बल :

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि माननीय मंत्री ने नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी फाइलों के बारे में निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देश का ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या इन निर्देशों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अक्तूबर, 1998 के अंत तक इनसे कितने नागरिक लाभन्वित हुए; और

(ड.) यदि नहीं, तो निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) मंत्री महोदय द्वारा जारी निर्देशों की प्रति विवरण में संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) सरकार ने निर्णय लिया हैं कि सभी विभागों के लिए एक समान नीति तैयार होने तक उक्त निदेशों का कार्यान्वयन स्थागित रखा जाए।

विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री का कार्यालय

जनता द्वारा फाइलें देखने तथा मंत्रालय में कार्यालय फाइलों के उद्वरण देने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन तथा प्रोफार्मा संलग्न हैं। यह कार्यालय ज्ञापन तत्काल जारी कर जनता के लिए प्रकाशित किया जाए।

ह./-
(शहरी कार्य और
रोजगार मंत्री)
10.10.98
विशेष सचिव (यू.एई.)

भारत सरकार
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली
10 अक्तूबर, 1998

कार्यालय ज्ञपन

शासन के राष्ट्रीय एजेंन्डे के पहले खण्ड में उल्लेख हैं कि:-

"हमारा वादा लोगों को ऐसी स्थायी, ईमानदारी, पारदर्शी तथा सक्षम सरकार देना हैं जो सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो"।

आज विश्व के उन देशों में भारत भी शामिल है जिनमें सर्वाधिक भष्टाचार व्यापत हैं क्योंकि यहां पारदर्शिता का अभाव है। भ्रष्टाचार तभी दूर किया जा सकता हैं जबकि लोगों को जानकारी हो। सूचना का अधिकार प्रजातंत्र का मूल अधिकार हैं। अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचार तभी होता हैं जब हम फाइलों में काम करते समय गोपनीयता करते हैं। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय जैसे विभागों में जहां निर्धारित नियमों के अनुसार ही फाइलें निपटाई, जानी हैं, गोपनीयता बरतने का कोई कारण नहीं हैं। अत: